न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
57/2023 प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा
14.06.2023

तारीख निर्णय
30.11.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम .....प्रार्थी

1–श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन निवासी जनता कॉलोनी बस स्टैण्ड के पीछे देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स नाथू लाल मूलचन्द सदर बाजार देवली जिला टोंक पिनकोड–304804 मोबाईल नं. 9414992055
2–मैसर्स नाथू लाल मूलचन्द सदर बाजार देवली जिला टोंक पिनकोड–304804
3–श्री वसन्तकुमार छगनलाल पटेल निवासी ए/185/1, आरोही प्लॉट, स्काई सॉल के पास, आरोही क्लब रोड, दक्षिण बोपाल, बोपाल, अहमदाबाद, गुजरात पार्टनर मैसर्स मारूति ट्रेंडिंग कम्पनी ए/185/1, आरोही प्लॉट, आरोही क्लब रोड, बोपाल, सारखेज, अहमदाबाद, गुजरात पिनकोड–382210
4–श्रीमति सोनल वसन्तभाई पटेल निवासी ए/185/1, आरोही प्लॉट, स्काई सॉल के पास, आरोही क्लब रोड, दक्षिण बोपाल, बोपाल, अहमदाबाद, गुजरात पार्टनर मैसर्स मारूति ट्रेंडिंग कम्पनी ए/185/1, आरोही प्लॉट, आरोही क्लब रोड, बोपाल, सारखेज, अहमदाबाद, गुजरात। पिनकोड–380058 मोबाईल नं. 9879958554
5–मैसर्स मारूति ट्रेंडिंग कम्पनी ए/185/1, आरोही प्लॉट, आरोही क्लब रोड, बोपाल, सारखेज, अहमदाबाद, गुजरात पिनकोड–382210

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(v) एवं दण्डनीय धारा 51, 52 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार जैन उप.।

दिनांक 30.11.2023

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2022 को समय 03:30 पीएम पर मैसर्स नाथू लाल मूलचन्द सदर बाजार देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन ने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के कार्टून में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **घी (केशव ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री महेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी (केशव ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 08 एवं पैकिंग की दिनांक 08 नवम्बर 2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (केशव ब्राण्ड)** 500–500 एम. एल. के 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3402 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3402 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मारूति ट्रेंडिंग कम्पनी ए/185/1, आरोही प्लॉट, आरोही क्लब रोड, बोपाल, सारखेज, अहमदाबाद, गुजरात का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/22 दिनांक 10.01.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. /3619/एक्ट/2022/3684 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (केशव ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 1 श्री महेन्द्र कुमार जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (केशव ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (केशव ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51, 52 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.11.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. [illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0